| तारीख हुक्म | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 19/12/24 | पत्रावली पेश। पूर्व आदेशानुसार कार्यवाही। पत्रावली हेतु पत्रावली दिनांकः- 6-2-25 को पेश हो। | |
| 6/2/25 | पत्रावली पेश। वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 17/4/25 को पेश हो। | |
| 17/4/25 | पत्रावली पेश। बहस वकील प्रार्थी सुनी गई वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक- 30/4/25 को पेश हो। | |
| 30/04/2025 | पत्रावली पेश वकील प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि भूमि खसरा संख्या 877/782 ग्राम धारधडी में स्थित है। जो प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है। जिस पर प्रार्थी निरंतर काबिज काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी सेवानिवृत अध्यापक है, जो ग्राम देई में निवास करता है। प्रार्थी भूमि पर स्वयं व आधौली पर काश्त करवाता है। प्रार्थी व अप्रार्थी की भूमियों के बीच मेड बनी हुई है जिससे दोनों की भूमियॉ अलग–अलग बटी हुई है। उक्त मेड को अप्रार्थीगण ने नष्ट कर प्रार्थी की 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर कब्जा कर लिया है। जिसके संबंध में प्रार्थी द्वारा बेदखली का बाद करने पर राजीनामा कर भूमि वापिस प्रार्थी को संभला दी थी। प्रार्थी के ग्राम धारधडी में नहीं रहने से अप्रार्थी ने इसका फायदा उठाकर पुनः बीच की मेड को तोडकर प्रार्थी की 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर कब्जा कर डोल लगा देने से बरसाती पानी प्रार्थी के खेत में से होकर निकल रहा है जिससे की प्रार्थी की भूमि नष्ट होकर आने जाने का रास्ता बंद हो गया है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार कर विवादित भूमि में से 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर रिसीवर नियुक्त किया जावे। एवं रिसीवर किया जाना उचित प्रतीत नहीं हो तो प्रार्थीगण को केस सिक्युरिटी राशि दिलाई जावे एवं शेष भूमि पर आने जाने हेतु बने रास्ते पर अवरोध नहीं करने, डोल नहीं लगाने हेतु भी अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे।<br><br>प्रार्थीगण के उक्त तथ्यों का खण्डन करते हुए वकील अप्रार्थीगण ने कथन किया विवादित भूमि बाबत पूर्व में | |

उपखण्ड अधिकारी हिण्डौनी

| हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|

राजीनामा तस्दीक हो चुका है। अप्रार्थीगण ने कोई मेड नहीं तोडी है जिस कारण कोई वाद ही उत्पन्न नहीं हुआ है। हमने उनकी भूमि पर पश्चिमी साईड कोई डोल नहीं लगाया है। हम अपने खाते की भूमियों पर शांतिपूर्वक काश्त कर रहे है। दिनांक 05.12.2019 को हुए राजीनामे अनुसार प्रार्थी व अप्रार्थीगण अपने अपने खातेदारी भूमियों पर काश्त कर रहे है। राजीनामा उपरान्त कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं होने से प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमने बहस वकील पक्षकारान पर मनन किया विवादित भूमि खाता संख्या 138 के खसरा संख्या 877/782 वादी सीताराम की खातेदारी में दर्ज है। जिस पर दीगर व्यक्तियों को दखलंदाजी करने से रोकने का प्रार्थी को हक व अधिकार है। जिससे प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में बनता है। भूमियॉ प्रार्थी की खातेदारी में होने से सुविधा सन्तुलन का सिद्धान्त भी प्रार्थी के हक में है। विवादित भूमि जो कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि है पर अप्रार्थीगण द्वारा कब्जा करने, डोल लगाने, आवागमन में अवरोध पैदा करने से प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति की संभावना बनी हुई है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे विवादित भूमि खाता संख्या 138 के खसरा संख्या 877/782 रकबा 0.8417 हैक्टेयर वाके ग्राम धारधडी पटवार मण्डल रोणीजा पर प्रार्थी की खातेदारी की हद तक उसके कब्जे काश्त में दखलंदाजी नहीं करें, कब्जा नहीं करे, डोल नहीं लगावे व आवागमन में व्यवधान उत्पन्न नहीं करें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली